




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
जेठूराम पुत्र छीतरराम जाति गुर्जर उम्र 27 वर्ष निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी		छीतरराम पुत्र नाथूराम जाति गुर्जर वगैरह निवासी सुजानपुरा तहसील कुचामनसिटी
राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक व भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T.Act 1955		
राजस्व वाद नम्बर 99 / 2019		RCMS No. 2019/0175
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	<p>वकील वादी द्वारा यह राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक व भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>23/12/19 पत्रावली पेश हुई आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राजकार्य अचकाण से बाहर पधारा हैं। अतः पत्रावली दिनांक 10/02/20 को पेश हो।</p> <p>10/02/20 वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील उपर्युक्त प्रकरण के अन्तर्गत वाद विभाजित किया गया है। पत्रावली के अन्तर्गत कार्यवाही के अन्तर्गत वाद को अलग-अलग पत्रावली के अन्तर्गत विचारित किया गया है। अतः वाद को अलग-अलग विचारित किया जाता है। पत्रावली के अन्तर्गत वाद को अलग-अलग विचारित किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	<p>जेठूराम</p> <p>छीतरराम</p> <p>74</p> <p>Bhikam Chy</p> <p>नाथूराम</p> <p>Deed, 1/1/19</p> <p></p>

